भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 185

जिसका उत्‍तर शुक्रवार, 6 दिसम्‍बर, 2013/15 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक उद्योग को पेश आ रही निधियों की कमी**

185. श्री शादी लाल बत्रा:

क्‍या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या उर्वरक उद्योग निधियों की कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उत्‍पादन में गिरावट आ रही है; यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उर्वरकों के उत्‍पादन के संबंध में क्‍या लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है और किसानों को राज्‍य-वार कितनी–कितनी मात्रा में उर्वरकों की आवश्‍यकता है; और

(ग) क्‍या सरकार के पास उर्वरकों की बिक्री के लिए मूल्‍य-निर्धारण संबंधी नीति की समीक्षा किए जाने के संबंध में कोई प्रस्‍ताव है? यदि हां तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** जी नहीं। निधियों की कमी के कारण उर्वरकों के उत्‍पादन में कोई कमी नहीं रही है।

**(ख):** वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक उर्वरक पोषक-तत्‍वों के क्षेत्र-वार और राज्‍य-वार मांग अनुमान संलग्‍न हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यूरिया, डीएपी और एमओपी की अनुमानित आवश्‍यकता क्रमश: लगभग 34, 12.95 और 5.048 मिलियन मी.टन (एमएमटी) रही है।

जहां तक यूरिया का संबंध है, ऐसी आशा है कि नई निवेश नीति 2012 की घोषणा से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की बंद इकाइयों के पुनरुद्धार तथा ब्राउनफील्‍ड विस्‍तार परियोजनाओं के द्वारा स्‍वदेशी क्षमता वृद्धि लगभग 7-8 मिलियन मी.टन यूरिया हो जाएगी।

-2-

तथापि, पीएण्‍डके उर्वरकों के मामले में स्‍वदेशी कच्‍ची सामग्री की अनुपलब्‍धता के कारण देश को कच्‍ची सामग्री या तैयार उत्‍पादों के आयात पर निर्भर र‍हना पड़ता है। देश पूरी तरह पोटाश के आयात पर निर्भर है क्‍योंकि आर्थिक रूप से दोहनयोग्‍य पोटाश से संबंधित कोई खनिज नहीं है।

फॉस्‍फेटयुक्‍त क्षेत्र में यद्यपि हम डीएपी, मिश्रित उर्वरकों और एसएपी का उत्‍पादन कर रहे हैं, फिर भी 'पी' की कच्‍ची सामग्री का मुख्‍यत: आयात किया जाता है। भारत में रॉक फॉस्‍फेट सीमित मात्रा में है और निम्‍न ग्रेड की है जिसका इस्‍तेमाल केवल एसएसपी का उत्‍पादन करने में ही किया जा सकता है। 'पी' की यह स्‍वदेशी उपलब्‍धता एसएसपी उद्योग की आवश्‍यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से पर्याप्‍त है। कुल मिलाकर देश, चाहे तैयार उत्‍पाद हो या कच्‍ची सामग्रियां 90% आयात पर निर्भर है।

**(ग):** सीसीईए द्वारा नई मूल्‍य-निर्धारण योजना (एनपीएस-III) की नीति को फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया था और इसे 01.10.2006 से 31.03.2010 तक प्रभावी बनाया गया था। एनपीएस के चरण-III के नीतिगत प्रावधानों को अगला आदेश होने तक एनपीएस-III की वैधता अवधि अर्थात् 31.03.2010 के बाद तक के लिए बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुमोदन से एनपीएस के चरण-III के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों हेतु नीति बनाने से संबंधित सभी पहलुओं को देखने के लिए एक नए जीओएम का गठन किया गया था, जिसकी बैठक 5 जून, 2013 को हुई थी। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि नई मूल्‍य-निर्धारण योजना के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए नीति बनाने से पहले मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श किए जाने की जरुरत है। इस प्रकार, वर्तमान में एनपीएस के चरण-III के बाद की नीति जीओएम के विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*